बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के बीस जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ दिनांक– 30.09.2020 एवं 01.10.2020 को सम्पन्न कार्यशाला– सह–समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 30.09.2020 एवं 01.10.2020 को राज्य के बीस जिलों में प्रारंभ किए गए विशेष सर्वेक्षण की समीक्षा तथा विशेष सर्वेक्षण कार्य से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं एवं समस्याओं पर विस्तृत विमर्श के लिए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कार्यशाला–सह–समीक्षात्मक बैठक की गई। जिसका बिन्दुवार कार्यवाही निम्न प्रकार हैः–

(क) जिलों के प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा :– निदेशालय द्वारा तैयार MIS सॉफ्टवेयर पर जिलों से प्राप्त सितंबर माह के चतुर्थ सप्ताह के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर जिलों के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा प्रश्चात् पाया गया कि प्रपत्र–1 में उद्घोषणा की कार्रवाई लगभग सभी जिलों में सम्पन्न कर ली गई है। ग्राम–सभा का आयोजन अररिया जिले में शतप्रतिशत कर ली गई है, परन्तु मुंगेर जिले में अब तक 324 मौजों में से मात्र 14 मौजे में ग्राम–सभा का आयोजन हुआ है। खतियान लेखन (प्रपत्र–5) की प्रगति सभी जिलों में असंतोषजनक है, परन्तु मधेपुरा, सहरसा एवं सीतामढ़ी जिले में अभी तक प्रपत्र–5 के लेखन का कार्य शुरू भी नहीं किया गया है। त्रि–सीमाना सत्यापन का कार्य बेगूसराय एवं सुपौल जिले में संतोषजनक है, परन्तु नालंदा, खगड़िया, लखीसराय एवं शेखपुरा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में इस कार्य में शुन्य प्रगति है। इसी प्रकार सीमा सत्यापन कार्य की प्रगति सुपौल, बेगूसराय, लखीसराय एवं शेखपुरा को छोड़कर अन्य जिलों में शुन्य है। एम0आई0एस0 प्रतिवेदन के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन सीतामढ़ी, मुंगेर एवं बांका जिला का है। **(MIS प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न) अनु0–01**

(ख) जिला बन्दोबस्त कार्यालय, शिविरों एवं सर्वेक्षण कार्य की बिन्दुवार समीक्षा :– निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक– 10233 दिनांक– 09.07.2020 द्वारा चरणबद्ध तरीके से जिलों को कार्य के लिए निम्न बिन्दु की समीक्षा का निदेश दिया गया थाः–

1. जिला बंदोबस्त कार्यालय के लिए भवन (चार कमरे एवं एक बड़ा हॉल सहित)।
2. जिला बंदोबस्त कार्यालय में बुनयादी सुविधाएँ यथा – बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट आदि की उपलब्धता।
3. जिला बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, परिचारी, अमीन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा अमीन के संख्या की समीक्षा सहित उन्हें कार्य आवंटन।

4. जिला बंदोबस्त कार्यालय में आवश्यक उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल, रैक, ग्लास टेबुल, तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, गुनटर चेन, कम्प्यूटर इत्यादि की उपलब्धता।
5. शिविर कार्यालय के लिए भवन की उपलब्धता एवं आवागमन की दृष्टिकोण से सड़क मार्ग से सुविधाजनक रूप से जुड़ा होना। अंचलवार शिविरों की संख्या व सम्बद्ध मौजों की सूची आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है।
6. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय की जिला मुख्यालय में स्थापना।
7. हवाई एजेंसी द्वारा अपने जिला कार्यालय में लैब की स्थापना तथा उपकरणों यथा – ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 की प्रर्याप्त संख्या में व्यवस्था एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कर्मियों यथा ई0टी0एस0 ऑपरेटरों की व्यवस्था किया जाना।
8. हवाई एजेंसी द्वारा प्राईमरी एवं सेकेन्ड्री कन्ट्रोल प्वाइन्ट बनाया जाना तथा इन प्वाइन्टों के स्थान की समीक्षा तथा इसके सुरक्षा की व्यवस्था।
9. जिला अंतर्गत शिविरवार राजस्व ग्रामों के कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी मानचित्र का बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से आपूर्ति की स्थिति।
10. जिला में मानचित्र उपलब्धता के लिए लगाये गए प्लॉटर की स्थिति।
11. जिले के सभी राजस्व ग्रामों के संपुष्ट खतियानों की उपलब्धता की स्थिति।
12. जिले के असर्वेक्षित ग्रामों के संदर्भ में समीक्षा।
13. जिला बंदोबस्त कार्यालय में जिले के राजस्व ग्रामों के अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान के संबंध में पूर्व में निर्गत निदेशों के आलोक में की गयी कार्रवाई, इसकी उपलब्धता या वैकल्पिक व्यवस्था की समीक्षा।
14. जिला स्तर के सभी विभागों के सरकारी भूमि की सूची तैयार करने हेतु उक्त विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक की समीक्षा एवं विभिन्न विभागों द्वारा अपनी भूमि के संबंध में तैयारी।
15. जिला बंदोबस्त कार्यालय को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र की स्थिति (गुलजारबाग से आवश्यकतानुसार प्रपत्र जिला स्तर से कर्मी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर प्राप्त किया जाना है)।
16. निदेशालय द्वारा नवनियोजित कर्मियों के जिला स्तर पर पदस्थापन पश्चात् शिविरवार प्रतिनियुक्ति से संबंधित Online Personnel Management Software को उपयोग में लाने हेतु कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को नामित करते हुए प्रतिनियुक्ति की वृहत् तैयारी किया जाना।
17. नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के आपके जिले में पदस्थापन पश्चात उसके संख्या के आधार पर पूर्व में दिये गए निदेश के अनुरूप शिविरों के गठन एवं कर्मियों के प्रतिनियुक्ति की समीक्षा।
18. शिविर कार्यालय में बुनियादी सुविधा यथा – बिजली, पानी, शौचालय आदि की उपलब्धता।
19. शिविर कार्यालय में उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल रैक, ग्लास, टेबुल, तखति, तिपाई, टेप, स्कैल, गन्टर चेन इत्यादि की उपलब्धता।
20. विशेष सर्वेक्षण अमीनों को आवश्यक सामग्री यथा तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, कैलकुलेटर इत्यादि उपलब्ध कराने की स्थिति।
21. जिले में पदस्थापित किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीनों का हवाई एजेंसी के द्वारा आपूरित ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 उपकरण एवं ऑपरेटरों के साथ संबद्ध कर क्षेत्र में कार्य करने संबंधी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व में निदेश दिया गया है। इस कार्य को कर लिये जाने के संबंध में समीक्षा।
22. नियमावली के नियम 4 (1) अंतर्गत प्रपत्र–1 में राजस्व ग्राम का उद्घोषणा किया जाना।
23. नियमावली के नियम 8 अंतर्गत खानापुरी दल का गठन किया जाना।

24. विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराए गए सरकारी भूमि की विवरणी, जमाबंदी पंजी की विवरणी, निष्पादित दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति।
25. अंचल कार्यालयों द्वारा बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा।
26. शिविरों में हो रहे कार्यो की निरंतर समीक्षा हेतु जिला एवं अनुमंडल स्तर से पदाधिकारियों को नामित किया जाना।
27. जिला एवं अचंल स्तर पर सर्वेक्षण कार्यो की प्रचार–प्रसार।
28. राजस्व ग्राम के स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन।
29. नियमावली के नियम 9 (1) अंतर्गत गत अधिकार अभिलेख से प्रपत्र–5 खतियानी विवरणी तैयार किया जाना।
30. नियमावली के नियम 6 (1) अंतर्गत स्वघोषणा प्रपत्र–2 एवं वंशावली प्रपत्र 3 (1) का संग्रह किया जाना।
31. हवाई एजेंसी सर्वेक्षण द्वारा ग्राम त्रीसीमाना निर्धारण/मोन्यूमेंटेशन/ग्राम सीमा सत्यापन किया जाना तत्पश्चापत् सर्वे मानचित्र के आपूर्ति की समीक्षा।
32. जिला एवं अनुमंडल स्तर के शिविर भ्रमण कर कार्य की समीक्षा हेतु जिला स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

अपर मुख्य सचिव द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर समीक्षा पश्चात् जिलों में कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपर्युक्त 32 बिन्दुओं को प्रश्न मानते हुए सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को प्रतिवेदन/उत्तर समर्पित करने का निदेश देते हुए श्री अखिलेश कुमार झा, निदेशक, भू–अर्जन को उन जिलावार उत्तरों/प्रतिवेदनों के आधार पर अंक प्रदान करने का निदेश दिया तथा प्रत्येक 32 प्रश्नों के लिए 05 अंक निर्धारित करने का निदेश दिया गया। 20 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बांका को न्यूनतम 37.05 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ एवं मुंगेर जिला को अधिकतम 82.05 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ।

पूर्णियां, अरवल, बेगूसराय, अररिया, सीतामढ़ी, कटिहार, जहानाबाद, शिवहर एवं मधेपुरा को 60 प्रतिशत से भी कम अंक प्राप्त हुआ।

अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि प्रत्येक जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से 32 बिन्दुओं पर प्राप्त उत्तर/प्रतिवेदन की प्रति भेजा जाए। **(जिलावार प्राप्त अंकों की प्रति संलग्न) अनु0–02**

अपर मुख्य सचिव द्वारा श्री श्यामल किशोर पाठक, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेशित किया गया कि सर्वे एवं राजस्व के विषयों पर 25 अंकों (15 प्रश्नों) की परीक्षा कार्यशाला के अंतिम सत्र में ली जाए और प्राप्त अंकों के आधार पर पदाधिकारियों की जानकारी की समीक्षा की जाय। निदेशानुसार लिए गए जांच परीक्षा पश्चात् मुंगेर जिले के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), श्री भारत भूषण तिवारी को सर्वाधिक 20 अंक प्राप्त हुआ एवं मो0 रैयाज शाहिद, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर को 05 अंक प्राप्त हुआ। श्री सुनील कुमार, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी, श्री कांत कुमार सिन्हा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल, श्रीमती विभा रानी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0), खगड़िया एवं श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को 25 अंक में 10 अंक भी प्राप्त नहीं हुए।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी विशेषकर सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उत्तर तथा जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की समीक्षा पश्चात खेद प्रकट करते हुए निदेशित किया गया कि निदेशालय से निर्गत मार्गदर्शिका, FAQ एवं विभिन्न पत्र/परिपत्रों का अध्ययन ये पदाधिकारी करे अन्यथा की स्थिति में एवं कार्य में लापरवाही होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। **(पदाधिकारीवार प्राप्तांकों की सूची संलग्न) अनु0–03**

अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को जिलों के सर्वेक्षण संबंधी विभिन्न बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा का निदेश देते हुए सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण जिले का भ्रमण हेतु भी निदेशित किया गया।

(ग) <u>जिला बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा महत्त्वपूर्ण विशेष सर्वेक्षण कार्यों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा</u> :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा सभी जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गई जो इस प्रकार हैः–

(i) <u>प्रपत्र 1 में उद्घोषणा</u>:– उपस्थित स0ब0प0 (मु0) द्वारा बताया गया कि सभी सम्बन्धित राजस्व ग्रामों की उद्घोषणा की जा चुकी है। MIS, भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में सभी का संधारण नहीं होने के कारण सभी अमीनों की ग्रामवार टैगिंग का नहीं होना है। जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता को अत्यधिक व्यस्तता के कारण टैगिंग सम्बन्धी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि सभी स0ब0प0 (मु0) जिला स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शिविर एवं ग्राम टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करेंगे।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(ii) <u>विशेष सर्वेक्षण शिविरों के लिए स्थान की उपलब्धता</u>:– समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि सभी विशेष सर्वेक्षण शिविरों के लिए अभी तक सुयोग्य स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं शिविरों में आधारभूत संरचना का भी अभाव है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा निदेश दिया गया कि एक स्थान पर एक से अधिक शिविर स्थापित नहीं किए जाए तथा शिविर के स्थान का निर्धारण भी बन्दोबस्त पदाधिकारी का आदेश/अनुमोदन से किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर यदि पूर्व से निश्चित किए गए किसी शिविर का स्थान परिवर्त्तन करना है तो स0ब0प0 (मु0) प्रस्ताव देकर बन्दोबस्त पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर ले।

शिविर से ग्राम की टैगिंग के सम्बन्ध निदेशालय स्तर पर कार्रवाई करते हुए सभी जिलों से मन्तव्य/सत्यापन की मांग की गई थी किन्तु किसी भी जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शिविरों के साथ ग्रामों को निदेशालय स्तर सम्बद्ध कर दिया गया। वर्त्तमान में यदि किसी शिविर के ग्रामों की टैगिंग को परिवर्तित करना हो तो जिला बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक समुचित कारणों के साथ प्रस्ताव तैयार

कर बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से निदेशालय स्तर से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, जमुई, कटिहार, पूर्णियां, बांका, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज में शिविर कार्यालयों के बुनियादी सुविधाओं के अभाव को अब तक दूर नहीं करने पर खेद प्रकट किया गया और अविलंब सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निदेशक द्वारा इस संबंध में सम्बन्धित अंचल अधिकारी व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ तत्काल समन्वय बैठक करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(iii) **<u>विशेष सर्वेक्षण शिविरों में उपस्करों की आपूर्ति</u>**:– बैठक में उपस्थित अधिकांश स0ब0प0 (मु0) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उपस्करों के क्रय के सम्बन्ध में संचिका वरीय पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थापित की गई है किन्तु क्रय समिति/टेन्डर इत्यादि प्रक्रियाओं के पूर्ण नहीं हो पाने के कारण क्रय नहीं हो पाया है। केवल 3 जिलों द्वारा बताया गया कि उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई है, परन्तु नोडल पदाधिकारियों द्वारा असहमति व्यक्त की गयी।

निदेश दिया गया कि निर्वाचन के तुरंत बाद सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर उपस्करों का क्रय कर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, जमुई, कटिहार, पूर्णियां, बांका, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज में शिविर को अब तक उपस्कर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर खेद प्रकट किया गया और अविलंब उपस्कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iv) **<u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ई0टी0एस0 एवं सपोर्ट स्टॉफ की स्थिति</u>**:– बैठक में उपस्थित बीस जिलों के स0ब0प0 में से 12 जिलों यथा मुंगेर, अरवल, जहानाबाद, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, जमुई, पूर्णियां, अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं सहरसा के स0ब0पदा0 द्वारा बताया गया कि अभी तक उनके जिले में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ई0टी0एस0 एवं सपोर्ट स्टॉफ की उपलब्ध नहीं कराया गया है। शेष जिलों द्वारा बताया गया है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ई0टी0एस0 एवं सपोर्ट स्टॉफ कार्य प्रारंभ किए गए शिविरों/ग्रामों की संख्या के अनुकूल नहीं हैं।

बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि अविलंब एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों में कार्यालय व कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा आगामी विपत्रों से कटौती की जाएगी। सभी 3 एजेंसियों को निदेशित किया गया कि जितने भी शिविरों/ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया गया है, उनमें ई0टी0एस0 एवं

स्टॉफ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इस तरह की कार्य–योजना जिला में समर्पित करें ताकि सभी शिविरों में नवम्बर माह में किस्तवार का कार्य पूर्ण हो जाए एवं दिसम्बर माह से खानापुरी पर्चा के वितरण का कार्य प्रारंभ किया जा सके।

(अनुपालन–सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ)

(v) **<u>विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रपत्रों के उपलब्धता की स्थिति</u>**:– उपस्थित सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण के प्रारंभिक कार्यों (प्रपत्र–1, 2, 3, 4, 5) के लिए आवश्यक प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। उपस्थित उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना द्वारा बतलाया गया कि सभी जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रपत्रों की आपूर्ति की जा रही है।

निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के आगामी प्रक्रमों में प्रयोग होने वाले प्रपत्रों की छपाई का कार्य समय पर पूर्ण कर लिया जाए एवं वर्त्तमान समय में प्रयोग होने वाले प्रपत्रों का आवश्यकतानुसार सभी सर्वेक्षण कार्यालयों को उपलब्ध करा दिया जाए।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा सभी जिलों को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से आवश्यकतानुसार प्रपत्रों के उठाव का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना)

(vi) **<u>मानचित्र उपलब्धता की स्थिति</u>**:– उपस्थित सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सभी आवश्यक मानचित्र उपलब्ध है।

निदेश दिया गया कि जिन ग्रामों का विगत सर्वेक्षण का मानचित्र अनुपलब्ध है, उनकी सूची तैयार कर ली जाए एवं इस सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(vii) **<u>प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) का निर्माण</u>**:– उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रपत्र– 5 (खतियानी विवरणी) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, किन्तु पूर्व के खतियानों के जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण तथा अभिलेखागार में लिखने की बाध्यता के कारण कठिनाई आ रही है, इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर कैथी भाषा में खतियान के लिखे जाने के कारण भी कार्य बाधित हो रहा है। इसी आलोक में खतियानों की छायाप्रति कराने के सम्बन्ध में भी अनुरोध किया गया।

निदेश दिया गया कि प्रपत्र– 5 (खतियानी विवरणी) का निर्माण किसी भी परिस्थिति में मूल खतियान से ही किया जाना हें अभिलेखागार में प्रपत्र–5 के लेखन के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी से अनुरोध किया जा सकता है। कैथी भाषा में लिखे खतियान की समस्या के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

(viii) <u>विशेष सर्वेक्षण अमीन, स0ब0प0 एवं कानूनगो को दी जाने वाली सामग्री की समीक्षा</u>:– बीस जिलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिर्फ मात्र शिवहर एवं मधेपुरा बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन, स0ब0प0 एवं कानूनगो को निदेशानुसार सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

निदेश दिया गया कि निदेशालय से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी जिले यथाशीघ्र को सभी उक्त कर्मियों को नापी आदि से संबंधित सामग्री अविलंब उपलब्ध कराये।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(ix) <u>विशेष सर्वेक्षण के प्रचार–प्रसार के लिए गई ग्राम–सभा</u>:– सभी उपस्थित स0ब0प0 द्वारा बताया गया कि जिन ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है, वहां विशेष सर्वेक्षण के प्रचार–प्रसार के लिए विगत एक माह के निरंतर ग्राम–सभा आयोजित की जा रही है। जिन ग्रामों में ग्राम–सभा का आयोजन नहीं हो पाया है, वहाँ निर्वाचन की आचार संहिता के कारण ग्राम–सभा की कार्रवाई रोक दी गई है। MIS प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि कुल 5179 ग्रामों में से 3222 ग्रामों में ग्राम–सभा आयोजित कर ली गयी है।

निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के प्रचार–प्रसार के लिए की जाने वाली ग्राम–सभा के नहीं होने के कारण अन्य कार्यों यथा स्वघोषणा प्राप्त करना प्रपत्र–5 तैयार करना, ग्राम–सीमा सत्यापन इत्यादि कार्यों को नहीं बाधित किया जाए। यथासंभव ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(x) <u>प्रचार–प्रसार की स्थिति</u>:– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, जमुई, कटिहार, पूर्णियां, बांका, पश्चिमी चम्पारण, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज जिलों में प्रचार–प्रसार हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने पर खेद प्रकट किया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि प्रचार–प्रसार की सामग्री की सॉफ्ट कॉपी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है, उसके अनुसार प्रचार–प्रसार की कार्रवाई की जाए। केवल नालंदा जिला द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गयी है।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(xi) <u>निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटन के व्यय की समीक्षा</u>:– बैठक में निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक– 10508 दिनांक– 20.08.2020 के आलोक में जिला द्वारा व्यय किए जाने की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि अधिकांश जिलों द्वारा किए गए व्यय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिलों द्वारा व्यय का प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया है कि प्राप्त आवंटन के आलोक में यथाशीघ्र व्यय का प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(xii) <u>सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं संविदा अमीन के मध्य कार्य विभाजन</u>:– निदेश दिया गया कि जिला सर्वेक्षण कार्यालय में पदस्थापित सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त संविदा अमीनों के कार्यों के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक– 10692 दिनांक– 02.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। मुंगेर बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा कार्य विभाजन कर दिया गया है।

बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, जमुई, कटिहार, पूर्णियां, बांका, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज जिलों में उल्लेखित कर्मियों के बीच कार्य आवंटन निदेशानुसार अविलंब हो तत्संबंधी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(xiii) <u>निदेशालय स्तर से निर्गत महत्त्वपूर्ण पत्रों के अनुपालन की स्थिति</u>:– बैठक में उपस्थित सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशालय स्तर से निर्गत 39 पत्रों की स्पाईरल बाईडिंग युक्त पुस्तिका के रूप में उपलब्ध कराया गया एवं यह भी बताया गया कि निदेशालय द्वारा सभी महत्त्वपूर्ण पत्रों को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है, निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से निर्गत सभी निदेशों एवं आदेशों का अनुपालन निश्चित की गई समय–सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए।

(xiv) <u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं बन्दोबस्त कार्यालय की संयुक्त कार्य–योजना</u>:– प्रतिवेदित किया गया कि सिर्फ 6 (छः) जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार की गई है। इन छः जिलों यथा बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, अरवल एवं जहानाबाद के स0ब0प0 में बेगूसराय तथा नालंदा में क्रमशः 2–2 अंचलों के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा कार्य–योजना दी गई है। 14 जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किस्तवार की कार्य–योजना समर्पित नहीं की गई है।

निदेश दिया गया कि सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों दिनांक– 08.10.2020 तक कार्य–योजना तैयार कर बन्दोबस्त कार्यालय को समर्पित करें।

(अनुपालन–सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ)

(xv) <u>बंदोबस्त कार्यालय में स्थान का अभाव</u>:– अरवल, पूर्णियां एवं बांका जिलों में बंदोबस्त कार्यालय को पर्याप्त स्थान नहीं है, अविलंब समुचित स्थान उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संबंधित अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी)

(xvi) <u>ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 के संचालन की जानकारी हेतु उन्मुखीकरण</u>:– बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, जमुई, कटिहार, पूर्णियां, बांका, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिमी चम्पारण जिलों में निदेश के बावजूअ ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 के संचालन संबंधी उन्मुखीकरण कार्य नहीं किए जाने पर खेद प्रकट किया गया और प्रत्येक दशा में 15.10.2020 तक इसे संपन्न करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(xvii) <u>**सरकारी भूमि की सूची**</u>:— उपस्थित स0ब0प0 द्वारा बताया गया कि जिलों में सरकारी विभागों द्वारा अपने—अपने स्वामित्व की भूमि की विवरणी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि इसके लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से भी निदेशित किया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी बन्दोबस्त कार्यालय बिहार सरकार के सभी विभागों की सूची इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर जिला स्थित सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों को उनकी भूमि के सम्बन्ध में एक निश्चित समय—सीमा के अन्दर विवरणी उपलब्ध कराने के लिए पत्र दें और यदि इस सम्बन्ध में किसी विभाग से प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होता है तो इसका प्रतिवेदन निदेशालय को समर्पित करें।

(अनुपालन—सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0))

(xviii) <u>**डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण**</u>:— जिलों में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदस्थापन पर निदेशालय स्तर से स्थानांतरित कर्मियों को विरमित करने की समीक्षा की गई। अरवल के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मधेपुरा के जिस ऑपरेटर को अरवल स्थानांतरण किया गया है उसे अभी तक विरमित नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों का स्थानांतरण निदेशालय से किया गया है, उन्हें अविलंब विरमित किया जाए।

<u>**(घ) वरीय पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय भ्रमण के आलोक में समीक्षा**</u> :— अपर मुख्य सचिव के निदेश के अनुपालन में श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक— 16—18 सितम्बर, 2020 को बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा, 19 सितम्बर, 2020 को सुपौल के भ्रमण उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष के आलोक में समीक्षा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि सहरसा चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा से स्पष्ट है कि अब तक विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक उपस्करों का अभाव है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए आम रैयतों को जागरूक किया जाना आवश्यक है और इसके लिए विशेष सर्वेक्षण के सम्बन्ध में प्रचार—प्रसार किया जाना आवश्यक है। यह भी बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण की पूर्ण सफलता के लिए इससे जुड़े सभी कर्मियों में विशिष्ट उत्तरदायित्त्व का बोध होने के साथ—साथ कार्य पूर्ण करने के प्रति दृढ संकल्प होना आवश्यक है।

सहरसा एवं सुपौल के भ्रमण में यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व सर्वेक्षण के कैथी भाषा में लिखे गए अधिकार अभिलेखों के लिए नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीन के साथ—साथ पूर्व में कार्यरत संविदा अमीनों को भी कैथी भाषा की जानकारी नहीं है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के मध्य पर्याप्त समन्वय का अभाव है। इसके लिए जिला स्तर वरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। निदेशक द्वारा बताया गया कि विशेष सचिव के भ्रमण के बाद दिये गये प्रस्ताव पर संचिका में प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है। सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि प्रचार—प्रसार हेतु पूर्व में ही सॉफ्ट कॉपी के साथ अगस्त माह में ही सभी जिलों के कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है।

(ड़) विशेष सर्वेक्षण का Process Flow:– बैठक में उपस्थित श्री अखिलेश कुमार झा, निदेशक, भू–अर्जन द्वारा दिनांक– 30.09.2020 की बैठक के द्वितीय सत्र में विशेष सर्वेक्षण के Process Flow के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए Devotion, Knowledge co-ordination और Team Spirit को आवश्यक बताते हुए कहा गया कि विशेष सर्वेक्षण की सफलता के में चार स्तम्भ हैं। बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण में मानचित्रों की जाँच के दो तरीके होते हैं, प्रथम मानचित्र में दिए गए किसी बिन्दु के Co-ordinate को प्राप्त कर वास्तविक स्थल पर D.G.P.S की सहायता से उसका मिलान करना यदि दोनों के मान समान हैं तो मानचित्र सही है। द्वितीय मानचित्र में प्रदर्शित किए गए दो मुस्तकिल की दूरी मानचित्र पर नापकर वास्तविक धरातल पर E.T.S की सहायता से उनकी दूरी ज्ञात करना, जो कम–से–कम कि0मी0 की हो। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा त्रि–सीमाना की पहचान, ग्राम–सीमा निर्धारण, हवाई एजेंसी द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कन्ट्रोल प्वाइंट इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि एजेंसी द्वारा लगाए जाने वाले सभी कन्ट्रोल प्वाइंट एवं त्रि–सीमाना के Co-ordinate का संधारण अवश्य कर लेना है ताकि भविष्य में नापी सम्बन्धी कठिनाईयों उत्पन्न न हों।

(च) विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी सॉफ्टवेयर :– बैठक में निदेशालय के आई0टी0 सेल द्वारा निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए बनाए गए विभिन्न सॉफ्टवेयरों के संबंध में जानकारी दी गई।

सर्वप्रथम आई0टी0 सेल द्वारा Personnel Management Software के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण कर्मियों यथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन एवं लिपिक के राज्य से जिला–जिला से शिविर एवं शिविर में ग्राम आवंटित करने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से समझाई गई। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा किसी विशेष सर्वेक्षण अमीन को अतिरिक्त ग्राम की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए जिसे विस्तृत रूप सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के साथ–साथ समझाया गया।

बैठक में उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बतलाया गया कि Personnel Management Software सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के शिविर टैगिंग का कार्य अपर समाहर्त्ता को प्राप्त हाने वाले OTP के माध्यम से होता है। अपर समाहर्त्ता की व्यस्तता के कारण OTP समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है और टैगिंग के कार्य में विलंब होता है। इसी क्रम में यह भी बतलाया गया कि अपर समाहर्त्ता की कार्य अधिकता के कारण बन्दोबस्त कार्यालय सम्बन्धी संचिकाओं पर समय पर बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं हो पाता है और इस कारण निर्धारित समय पर निदेशालय के आदेशों का अनुपालन समय पर नहीं हो पाता है।

विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी सभी कार्यों को प्रक्रमवार नियमावली द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्रों में संधारित करने के लिए बनाए गए भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण के कौन–कौन से प्रपत्रों को स्कैन करना है और किन प्रपत्रों की डाटा इंट्री की जानी है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रपत्रों को भरने की जानकारी भी दी गई एवं बताया गया कि किस प्रपत्र को किसके द्वारा भरा जाना है। निदेशक महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी नियमित रूप से अमीन द्वारा

सॉफ्टवेयर में की जाने वाली प्रविष्टियों की समीक्षा करेंगे एवं कार्य की भौतिक प्रगति के साथ–साथ सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने की कार्रवाई करेंगे।

इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को MIS Software भू–नक्शा सॉफ्टवेयर एवं भू–मानचित्र सॉफ्टवेयर की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक में उपस्थित जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि विशेष सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किया जा रहा है और पूरा विशेष सर्वेक्षण आधुनिक तकनीक आधारित है, इसलिए आवश्यक है कि सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को एन्ड्रायड फोन एवं स0ब0प0(मु0) को लेपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

निदेशक महोदय द्वारा आश्वासन किया गया कि सभी को मोबाईल एवं लेपटॉप उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। उपस्थित स0ब0प0 द्वारा शिविर कार्यालय में प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। निदेशक द्वारा बताया गया कि शिविरों में प्रिंटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रति शिविर 10000 रू0 का आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

सधन्यवाद कार्यशाला–सह–समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....150/ गोठ..... **पटना, दिनांक** :– 06/10-2020

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, जमुई, कटिहार, पूर्णियां, बांका, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....150/ गोठ..... **पटना, दिनांक** :– 06-10-2020

प्रतिलिपिः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/ निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (प्रतिनियुक्त भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग/सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.....150/ गोठ..... **पटना, दिनांक** :– 06-10-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

अनुलग्नक - 1

SPECIAL SURVEY 2020:: DISTRICT LEVEL REPORT : SEP 4th WEEK 2020

PARAMETERS / District	Total Mauza	Notification (Rule 3(1))	Total Shivir	Prapatra-1 (Rule 4(1)) (30%)		Gram Sabha (As per Technical Guideline) (30%)		Khatiyani Writing (Rule 9(1)) (10%)		Tri-Junction Validation (Section 6, Rule 7(1)) (10%)		Boundary Verification (Section 6, Rule 7(1)) (20%)		District Rank
				Achievement Count	Achievement %	Achievement Count	Achievement %	Achievement Count	Achievement %	Achievement Count	Achievement %	Achievement Count	Achievement %	
SUPAUL	250	250	12	250	100%	211	84%	43	17%	124	50%	39	16%	1
BEGUSARAI	440	440	19	440	100%	302	69%	69	16%	398	90%	73	17%	2
ARARIA	156	156	6	156	100%	156	100%	56	36%	0	0%	0	0%	3
NALANDA	415	415	17	415	100%	357	86%	251	60%	10	2%	0	0%	4
KHAGARIA	163	163	7	163	100%	137	84%	63	39%	11	7%	0	0%	5
JEHANABAD	253	253	10	253	100%	236	93%	25	10%	0	0%	0	0%	6
LAKHISARAI	412	412	16	412	100%	350	85%	127	31%	12	3%	2	0%	7
SHEOHAR	80	80	3	80	100%	70	88%	2	3%	0	0%	0	0%	8
SHEIKHPURA	314	314	15	314	100%	205	65%	63	20%	39	12%	12	4%	9
KISHANGANJ	460	460	17	460	100%	352	77%	26	6%	0	0%	0	0%	10
ARWAL	335	335	13	335	100%	240	72%	33	10%	0	0%	0	0%	11
SAHARSA	130	130	5	130	100%	89	68%	0	0%	0	0%	0	0%	12
JAMUI	155	155	6	155	100%	97	63%	12	8%	0	0%	0	0%	13
KATIHAR	185	185	7	185	100%	83	45%	47	25%	0	0%	0	0%	14
MADHEPURA	117	117	6	117	100%	60	51%	0	0%	0	0%	0	0%	15
W.CHAMPARAN	290	290	11	276	95%	108	37%	52	18%	0	0%	0	0%	16
PURNIA	110	110	5	110	100%	15	14%	26	24%	0	0%	0	0%	17
BANKA	309	309	12	309	100%	55	18%	7	2%	0	0%	0	0%	18
MUNGER	324	324	13	324	100%	14	4%	133	41%	0	0%	0	0%	19
SITAMARHI	254	254	9	204	80%	85	33%	0	0%	0	0%	0	0%	20
Total Count	5152	5152	209	5088	99%	3222	62%	1035	18%	594	8%	126	2%	

Best Performing Districts :

SUPAUL	BEGUSARAI	ARARIA

Non Performing Districts :

W. CHAMPARAN	PURNIA	BANKA	MUNGER	SITAMARHI

अनुलग्नक - 2

प्रथम चरण के लिए चयनित राज्य के 20 जिलों में बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रगति हेतु निर्धारित समीक्षा के 31 बिन्दुओं पर आधारित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) की जॉच परीक्षा का परिणाम।

क्र0सं0	जिला का नाम	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	प्राप्तांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	बांका	श्री विमल कुमार घोष	60	160	37.5
2.	पूर्णियॉ	श्री कृष्ण सिंह	80	160	50
3.	अरवल	श्री संजीव कुमार सिन्हा	80	160	50
4.	बेगूसराय	श्री व्यास मुनि पाण्डेय	80	160	50
5.	अररिया	श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह	82	160	51.25
6.	जमुई	श्री बासुकीनाथ श्रीवास्तव	89.5	160	55.93
7.	सीतामढ़ी	श्री सुनील कुमार	91	160	56.87
8.	कटिहार	श्री रमण कुमार	92.5	160	57.81
9.	जहानाबाद	श्री प्रभात कुमार गोंड	93.5	160	58.43
10.	शिवहर	श्रीमती अर्चना कुमारी	93.5	160	58.43
11.	मधेपुरा	श्री त्रिलोक नाथ झा	95	160	59.37
12.	सहरसा	श्री. नीरज कुमार सेठ	97.5	160	60.93
13.	खगड़िया	सुश्री विभा रानी	102.5	160	64.06
14.	नालंदा	श्री कृष्णनन्दन शर्मा	104.5	160	65
15.	पं0 चम्पारण (बेतिया)	श्री सुनील कुमार	105	160	65.62
16.	किशनगंज	श्री ब्रजेश कुमार	108	160	67.5
17.	लखीसराय	श्री अरूण कुमार	122	160	76.25
18.	सुपौल	श्री वकील सिंह	125.5	160	78.43
19.	शेखपुरा	श्री सुमन सहाय	131.5	160	82.18
20.	मुंगेर	श्री भारत भूषण तिवारी	132	160	82.5

अनुलग्नक - 3

दिनांक–01.10.2020 को जिलों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों की जॉच परीक्षा का परिणाम

क्र0 सं0	जिला का नाम	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक
1	बांका	श्री विमल कुमार घोष स0ब0प0 (मु0)	25	13
		श्री मनोरंजन कुमार मधुकर स0ब0प0 (मु0)	25	11
2	अररिया	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह स0ब0प0 (मु0)	25	17
		श्री धनंजय कुमार स0ब0प0	25	18
3	बेगूसराय	श्री नरेन्द्र कुमार, स0ब0प0	25	11.5
		श्री व्यास मुनि पाण्डेय, स0ब0प0 (मु0)	25	14
		श्रीमती प्रेमबाला कुमारी, स0ब0प0	25	11.5
		श्री पारस नाथ सिंह, स0ब0प0	25	14
		श्री दीपक कुमार सिंह, स0ब0प0	25	13
		श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, स0ब0प0	25	9
4	खगड़िया	श्री पंकज कुमार, स0ब0प0	25	11
		श्रीमती विभा रानी, स0ब0प0 (मु0)	25	6
5	लखीसराय	श्री भुनेश्वर यादत, स0ब0प0 (मु0)	25	15
		श्री अरूण कुमार, स0ब0प0	25	12.5
6	जहानाबाद	श्री राम भजन राम, स0ब0प0	25	13
		श्री प्रभात कुमार गोंड, स0ब0प0 (मु0)	25	15
7	अरवल	श्री कान्त कुमार सिन्हा, स0ब0प0	25	7
		श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, स0ब0प0	25	10
		श्री बी0 बरूण कुमार, स0ब0प0	25	17
8	शिवहर	श्रीमती अर्चना कुमारी, स0ब0प0 (मु0)	25	16
		मो0 रैयाज शाहिद, स0ब0प0	25	5
9	किशनगंज	श्री राजीव कुमार, स0ब0प0	25	11
10	कटिहार	श्री रमण कुमार, स0ब0प0	25	11.5
11	पूर्णियॉ	श्री कृष्णा सिंह	25	19
		श्री धमेन्द्र चौधरी	25	15
12	सीतामढ़ी	श्री सुनील कुमार, स0ब0प0 (मु0)	25	9
13	सुपौल	श्री वकील कुमार, स0ब0प0 (मु0)	25	13
		श्री रविन्द्र कुमार, स0ब0प0	25	13
		मो0 अकबर हुसैन, स0ब0प0	25	16
		श्री रंजन कुमार, स0ब0प0	25	19
		श्री संजय कुमार सिंह	25	13
14	सहरसा	श्री नीरज कुमार सेठ, स0ब0प0(मु0)	25	11

15	मधेपुरा	श्री त्रिलोकीनाथ झा, स0ब0प0(मु0)	25	13
		श्री सफी अखतर, स0ब0प0	25	11
16	पं0 चंपारण	श्री सुनील कुमार, स0ब0प0(मु0)	25	19
17	जमुई	बासुकी नाथ श्रीवास्तव	25	15
18	शेखपुरा	श्री सुमन सहाय, स0ब0प0(मु0)	25	12
		शाहिद मसउद आलम, स0ब0प0	25	17
		श्री चन्द्र भानु कुमार, स0ब0प0	25	13
19	मुंगेर	श्री अरविन्द कुमार, स0ब0प0	25	13
		श्री राम उराँव, स0ब0प0	25	10
		श्री भरत भूषण तिवारी, स0ब0प0	25	20
20	नालंदा	श्री कृष्ण नंदन शर्मा, स0ब0प0	25	14
		रविन्द्र कुमार भारती	25	10